

**झारखण्ड सरकार,**  
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग**  
**अधिसूचना**

राँची, दिनांक 01 अक्टूबर, 2015

संख्या-राजभाषा/स्थापना-18/2015 का० - 8675 / विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री मिथिलेश नारायण, वरिष्ठ अनुवादक निदेशक, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय), राँची को सहायक निदेशक (वेतनमान-पी०बी०-II रु० 9300-34800, ग्रेड वेतन-5400/-) के पद पर प्रोन्नति देते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय), राँची में पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-राजभाषा/स्थापना-18/2015 का० - 8676 / विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री करुणानन्द तिवारी, वरिष्ठ अनुवादक निदेशक, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय), राँची को सहायक निदेशक (वेतनमान-पी०बी०-II रु० 9300-34800, ग्रेड वेतन-5400/-) के पद पर प्रोन्नति देते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय), राँची में पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-राजभाषा/स्थापना-18/2015 का० - 8677 / विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री जय प्रकाश उपाध्याय, वरिष्ठ अनुवादक निदेशक, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय), राँची को सहायक निदेशक (वेतनमान-पी०बी०-II रु० 9300-34800, ग्रेड वेतन-5400/-) के पद पर प्रोन्नति देते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय), राँची में पदस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(चन्द्रभूषण प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- राजभाषा/स्थापना-18/2015- 8677 / राँची, दिनांक 01 अक्टूबर, 2015

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- राजभाषा/स्थापना-18/2015- 8677 / राँची, दिनांक 01 अक्टूबर, 2015

प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय राजभाषा कार्यालय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन/वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग)/अवर सचिव, स्थापना एवं लेखा, कार्मिक, प्र० सु० तथा राजभाषा विभाग/संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 के आलोक में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा।

सरकार के अवर सचिव